



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062020-220155
CG-DL-E-25062020-220155

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1805]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 24, 2020/आषाढ़ 3, 1942

No. 1805]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 24, 2020/ASHADHA 3, 1942

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2020

का.आ. 2031(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 984(अ) तारीख 03 मार्च, 2020 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, बिहार राज्य के जिला औरंगाबाद में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन, रख-रखाव, प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात्, दैनिक जागरण में तारीख 18 मार्च, 2020 और हिन्दुस्तान में तारीख 18 मार्च, 2020 को प्रकाशित किया गया था;

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया, तदनुसार आदेश पारित कर दिए गए हैं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण, में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम 1989 की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि आत्यंतिक रूप से सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

बिहार राज्य में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए औरंगाबाद जिले में आने वाली संरचना सहित या उसके बिना भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्र० सं०	अंचल का नाम	ग्राम का नाम/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	क्षेत्रफल एकड़ में	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	भूमि की प्रकृति	भूमि के मालिक/ हितबद्ध व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	बारुण	नरचाही—166	16	88	0.0398	0.0161	बांध	गैरमजरुआ आम।
			9	89	0.0998	0.0404	कृषि	बिनोद प्रसाद सिंह पिता लक्ष्मण सिंह ग्राम—नरचाही, थाना—बारुण जिला औरंगाबाद।
2.	बारुण	चिरैला—109	48	59	0.0247	0.0100	रास्ता	गैरमजरुआ आम।
				61	0.1309	0.0530	पिण्ड	गैरमजरुआ आम।
			44	88	0.0029	0.0012	कृषि	लालदेव सिंह पिता स्व० सिताराम सिंह ग्राम—चिरैला, थाना—बारुण जिला औरंगाबाद।
					0.0020	0.0008	कृषि	जयशंकर सिंह पिता स्व० रामरेखा सिंह ग्राम—चिरैला, थाना—बारुण जिला औरंगाबाद।
			46	91	0.0227	0.0092	कृषि	जयशंकर सिंह पिता स्व० रामरेखा सिंह ग्राम—चिरैला, थाना—बारुण जिला औरंगाबाद।
			7	94	0.0054	0.0022	आवासीय	रामदयाल सिंह पिता स्व० रामरेखा सिंह ग्राम—चिरैला, थाना—बारुण जिला औरंगाबाद।
					0.0020	0.0008	आवासीय	राधिका देवी पति कामु साव ग्राम—चिरैला, थाना—बारुण जिला औरंगाबाद।
3.	जमहौर	पौथु—106	208	353	0.4426	0.1792	रास्ता	गैरमजरुआ आम।
			102	1224	0.2398	0.0971	कृषि	पुनित तिवारी पिता स्व० अमर तिवारी ग्राम—पौथु, थाना—बारुण जिला औरंगाबाद।

[फा. सं. 2020/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2026]

ए.के. सिन्हा, कार्यकारी निदेशक (भूमि एवं सुविधाएं)

MINISTRY OF RAILWAY

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 2020

S.O. 2031(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 984(E), dated the 03rd March, 2020, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) (hereinafter referred to as the said notification) under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Aurangabad in the State of Bihar;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspaper namely, Dainik Jagran, dated the 18th March, 2020 and Hindustan, dated the 18th March, 2020 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received and the same has been considered by the competent authority, accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the district of Aurangabad for Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the State of Bihar.

Sl. No.	Name of Anchal	Name of Village / Thana No.	Khata No.	Plot No.	Area in Acre	Area in Hect.	Nature of Land	Name of the Land Owner/ Interested Persons
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Barun	Narchahi-166	16	88	0.0398	0.0161	Bandh	Giarmajarua AAM.
			9	89	0.0998	0.0404	Agriculture	Vinod prasad singh s/o Laxman singh vill- Narchahi, Thana-Barun, Dist-Aurangabad.
2.	Barun	Chiraila-109	48	59	0.0247	0.0100	Rasta	Giarmajarua AAM.
				61	0.1309	0.0530	Pind	Giarmajarua AAM.
			44	88	0.0029	0.0012	Agriculture	Laldev singh S/o Lt. Sitaram singh ,vill-Chiraila, Thana-Barun, Dist-Aurangabad.
					0.0020	0.0008	Agriculture	Jayshankar singh s/o Ramrekha singh vill-Chiraila, Thana-Barun, Dist-Aurangabad.
			46	91	0.0227	0.0092	Agriculture	Jayshankar singh s/o Ramrekha singh ,vill-Chiraila, Thana-Barun, Dist-Aurangabad.
			7	94	0.0054	0.0022	Residential	Ramdyal singh s/o Ramrekha singh vill-Chiraila, Thana-Barun, Dist-Aurangabad.
					0.0020	0.0008	Residential	Radhika devi W/o Kamu saw vill-Chiraila, Thana-Barun, Dist-Aurangabad.
3.	Jamhor	Pauthu-106	208	353	0.4426	0.1792	Rasta	Giarmajarua AAM.
			102	1224	0.2398	0.0971	Agriculture	Punit Tiwari s/o Amar Tiwari ,vill-Pouthu, Thana-Barun, Dist-Aurangabad.

[F. No. 2020/LML-II/12/2/EC/2026]

A. K. SINHA, Executive Director (Land & Amenities)